# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

**पत्रांक– 2325 /मी0क्षे0/33 दिनांक, नवम्बर 19, 2019**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 02.07.2019/08.08.2019
2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./241 दिनांक– 14.08.2019
3–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./270 दिनांक– 28.08.2019
4–उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, का पत्र संख्या– भा0स0 125/81–2–2019–800(18)/2017 लखनऊ दिनांक– 02.09.2019
5–आपका पत्र संख्या– 431/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./lmlg/20203/2010 लखनऊ दिनांक– 29 अगस्त, 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक– 08.08.2019 के क्रम में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा चाही गयी वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के कार्यालय के पत्रांक–1676/रेनुकूट/15–117 दिनांक 19.11.2019 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया है

| S. No. | भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र दिनांक– 14.08.2019 व संशोधित पत्र दिनांक–28.08.2019 में अंकित विवरण/शर्त | प्रभाग की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Dated:-14.08.2019** The State Government should submit undertaking along with the detailed estimate for raising of compensatory afforestation over 1295 ha. Non forest land and enrichment plantation as required along with KML files, Geo-referenced maps, toposheets and site suitability certificates of the selected site from concerned DFO's<br>**Dated:-28.08.2019** As per the recommendation of the Committee appointed by Hon'ble NGT in OA no. 521/2014. Compensatory afforestation on degraded forest land equal to double the forest area (980.40) released for Kanhar Irrigation Project by the Central Government was to be raised, Out of 2x980.40=1960.80 ha. 666 ha has already been planted and a scheme of afforestation on degraded Forest land for balance 1294.80 ha or 1295 ha is to be submitted/implemented by the State Government . | इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग में 800 हे0 अवनत वन भूमि एवं पूर्व में हुई 666 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण में पुनः Enrichment वनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा ओबरा वन प्रभाग में 495 हे0 अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्रो से संबंधित जीओ रेफरेन्स मानचित्र एवं टोपोशीट व व्यय अनुमान पत्र की 3 प्रतियों उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित संलग्न है । |

—2—

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में एतदसह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा) 12.XI.19
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या— 2325 ज/समदिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट—सोनभद्र।

2—प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र

3—अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड—तृतीय , पिपरी—सोनभद्र ।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर